[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 13 अप्रैल **, 2015**

का.आ. 934 **(अ)**--केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 कर 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

1.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष, पदेन
2.	तटीय विनियमन जोन से संबंधित विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
3.	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डोना पौला -- 403004, गोवा	सदस्य, पदेन
4.	चीफ टाऊन प्लानर, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, कर्नाटक सरकार	सदस्य, पदेन
5.	सदस्य सचिव, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण	सदस्य, पदेन
6.	संयुक्त सचिव (पर्यटन) या निदेशक, पर्यटन मंत्रालय, परिवहन भवन, नं0 1, संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110001	सदस्य, पदेन
7.	उप महानिदेशक (मत्स्य), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि मंत्रालय	सदस्य, पदेन
8.	डॉ. एम. वी. रमण मूर्ति, भारतीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	सदस्य,
9.	निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद	सदस्य
10.	निदेशक, नेशनल सेंटर फार सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एन.सी.एस.सी.एम.), चैन्नई	सदस्य
11.	निदेशक, केंद्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन	सदस्य,
12.	राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण, गुजरात के नामनिर्देशिती	सदस्य, पदेन
13.	राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण, ओड़िशा के नामनिर्देशिती	सदस्य, पदेन
14.	तटीय विनियम जोन से संबंधित संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव, पदेन

2. प्राधिकरण और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति छह सदस्यों की होगी और यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी और पुन: बैठक की जाएगी ।

4. प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित और उसमें सुधार करने, तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्रवाइयों का समन्वय करेगा ;

(ii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजनाओं के वर्गीकरण में परिवर्तन और उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके लिए केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों का स्व:प्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करेगा और जहां यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा ;

(iv) उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा ;

(v) उसके समक्ष उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

5. प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं या संगठनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से संबंधित विषयों में यदि यह पाता है कि यह आवश्यक है तो तकनीकी सहायता देगा और उसका मार्गदर्शन करेगा ।

6. प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा दिए गए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में, केंद्रीय सरकार को नीति, योजना, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष और वित्तपोषण केन्द्र स्थापित करने में सलाह दे सकेगा ।

8. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे सभी पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

9. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों और राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

10. प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को इंटरनेट वेवसाइट www.envfor.nic.in सहित पब्लिक डोमेन पर डालेगा और राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के प्रदर्शन के लिए प्रावधान करेगा ।

11. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य, केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

12. प्राधिकरण, जहां कहीं अपेक्षित हो, अपनी बैठक के दौरान किसी सदस्य के रूप में किसी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करेगा ।

13. पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

[एफ. सं. जे-17011/18/1996-आई.ए.-III]

(बिश्वनाथ सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 1st April, 2015

S.O 934(E).- in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1.	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Chairman, ex-officio,
2	Special Secretary orAdditional Secretary dealing with Coastal Regulation Zone, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Member, ex-officio,
3.	Director, National Institute of Oceanography, Dona Paula - 403004,Goa	Member, ex-officio,
4.	Chief Town Planner, Dept of Town and Country Planning, Government of Karnataka.	Member, ex-officio,
5.	Member Secretary, Central Ground Water Authority	Member, ex-officio,
6.	Joint Secretary (Tourism) or Director Ministry of Tourism, Transport Bhawan, No. 1, Parliament Street, New Delhi - 110 001	Member, ex-officio,
7.	Deputy Director General (Fisheries), Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture	Member, ex-officio,

8.	Dr. M.V. Ramana Murthy, National Institute of Ocean Technology, Chennai	Member
9.	Director, Space Application Centre, Ahmedabad	Member
10	Director, National Center for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai	Member
11	Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin	Member
12	Nominee from the State Coastal Zone Management Authority, Gujarat.	Member, ex-officio,
13	Nominee from the State Coastal Zone Management Authority, Odisha.	Member, ex-officio,
14	Joint Secretary dealing with Coastal Regulation Zone, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Member Secretary, ex-officio,

2. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be six members and in case the quorum is not available the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

4. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, take the following measures, namely:-

(i) the Authority shall co-ordinate the actions of the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;

(ii) the Authority shall examine the proposals for changes or modifications in the classification of coastal zone areas and in the coastal zone management plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union

territory Coastal Zone Management Authorities, and make specific recommendations to the Central Government therefor;

(iii) the Authority shall hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act, either *suo-moto*, or on the basis of complaint made by any individual or body, or organization, and wherever necessary, issue directions under section 5 of the said Act;

(iv) file complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it; and

(v) to take such action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the cases before it.

5. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.

6. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities.

7. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centers of excellence and funding, in matters relating to Coastal Regulation Zone Management.

8. The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

9. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.

10. The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Internet website www.envfor.nic.in, and shall create provision for displaying of status of proposals received from the States and Union territories.

11. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

12. The Authority may, whenever required, shall invite any other expert as a member during its meeting.

13. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

[F.No.J-17011/18/1996-IA-III]

Bishwanath Sinha,
Joint Secretary, Government of India